

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०२०

### मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) विधेयक, २०२०.

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०२० है.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(२)(क) इस संशोधन अधिनियम की धारा २ के उपबंध ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रवृत्त होंगे.

(ख) इस संशोधन अधिनियम के अन्य उपबंध मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (भ) में, उपखण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :-

धारा २ का संशोधन.

“(पांच) मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, २०१८ (क्रमांक ११ सन् २०१८) तथा मध्यप्रदेश हाई-स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ (क्रमांक १२ सन् २०१८) के अधीन उपकर के रूप में संग्रहीत की गई राशि;”

३. मूल अधिनियम की धारा १४ में, उपधारा (१ क ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

धारा १४ का संशोधन.

“(१क ग) (क) ऐसे निर्वन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे कि विहित किए जाएं, जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अनुसूची-२ के भाग-३क में यथाविनिर्दिष्ट डीजल और पेट्रोल मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है और इस प्रकार क्रय किए गए डीजल और पेट्रोल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है, तब वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा.

(ख) खण्ड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई व्यापारी, जो मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन पंजीकृत है, धारा १७ के अधीन विहित कालावधि के पश्चात् किन्तु ३१ मार्च, २०२१ के पूर्व पंजीयन प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करके स्वयं को पंजीकृत करा लेता है, वह अनुसूची-२ के भाग-३ क में विनिर्दिष्ट डीजल और पेट्रोल के संबंध में कर का भुगतान करने के दायित्व की तारीख को या उसके पश्चात्, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर किसी पंजीकृत ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा करेगा या उसे ऐसा करने के लिए खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा. तथापि यदि आगत कर, देय कर की राशि के दायित्व से अधिक है तब प्रतिदाय नहीं किया जाएगा.”

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, २०१८ (क्रमांक ११ सन् २०१८) तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ (क्रमांक १२ सन् २०१८) के तहत संग्रहीत उपकर पर वेट उद्गृहीत न करने के उद्देश्य से कतिपय व्यापारियों को, जो पेट्रोल (मोटर स्पिरिट) और हाई स्पीड डीजल के विक्रय और क्रय का व्यापार कर रहे हैं तथा जो मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्र. १९ सन् २०१७) के अधीन पंजीकृत हैं किन्तु मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ के अधीन पंजीकरण नहीं करा सके हैं या न ही विहित तारीख के पश्चात् पंजीयन प्राप्त कर सके हैं, उन्हें मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के संशोधन द्वारा दोहरे करारोपण से बचाने के लिये आगत कर रिबेट का लाभ दिया जा रहा है।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :  
तारीख १६ सितम्बर, २०२०.

जगदीश देवड़ा  
भारसाधक सदस्य.

## प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड-१ द्वारा अधिनियम को प्रवृत्त किये जाने की तिथि अधिसूचित किए जाने; तथा

खण्ड-३ द्वारा आगत कर की राशि के रिबेट का दावा संबंधी निर्बन्धनों तथा शर्तों एवं उसकी कालावधि विहित किए जाने, के संबंध में नियम बनाए जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) से उद्धरण

धारा-२

- (भ) किसी कालावधि के लिये किसी व्यापार के संबंध में करयोग्य कुल राशि से अभिप्रेत है, किसी व्यापारी की कुल राशि (टर्न ओवर) का वह भाग, जो उसमें से निम्नलिखित घटाने के पश्चात् बाकी बचे:
- (एक) धारा १६ के अधीन करमुक्त घोषित किए गए माल का विक्रय मूल्य;
- (दो) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जो ऐसे व्यापारी के हाथ में करदत्त माल के रूप में है;
- (तीन) धारा ९ के अधीन कर के तौर पर संग्रहीत की गई रकम, या वह रकम जो निम्नलिखित सूत्र (फार्मूला) लागू करके आती है;

$$\frac{\text{कर की दर} \times \text{विक्रय मूल्य का योग}}{100 + \text{कर की दर}}$$

परन्तु उपर्युक्त सूत्र के आधार पर कोई कटौती उस दशा में नहीं की जाएगी जबकि वह रकम जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर के तौर पर वसूल की गई है, विक्रय मूल्य के योग में से अन्यथा काटी जा चुकी है.

**स्पष्टीकरण.**—जहाँ किसी व्यापारी की कुल राशि (टर्न ओवर) भिन्न-भिन्न दरों पर कर योग्य है वहाँ पूर्वोक्त सूत्र कुल राशि (टर्न ओवर) के ऐसे भाग के संबंध में जो धारा ९ के अधीन कर की भिन्न दर के दायित्वाधीन है, पृथक् से लागू किया जाएगा.

(चार) धारा ९-कक के अधीन अतिरिक्त कर के रूप में संग्रहीत की गई रकम.

\* \* \* \*

धारा १४ (१कग) ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अनुसूची-२ के भाग-३क में यथाविनिर्दिष्ट डीजल और पेट्रोल, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है और इस प्रकार क्रय किये गये डीजल और पेट्रोल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है, तब वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.

\* \* \* \*

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.